RCMS 2020/00013

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट 41/मु.नं. सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2020	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम खारिया कनिराम की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में नया खाता खंख्या 294 पुराना खाता संख्या 270 में हीरा सिंह पुत्र केशाराम हिस्सा 48/161 निवासी बाटडानाउ राहिन हिस्सा 48/161 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुजानगढ राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो गलत है अतः बैंक की शाखा सालासर किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का शोभासर व उपतहसीलदार सालासर व शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर से रिपोर्ट ली गई। उपतहसीलदार सालासर व शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में में हीरा सिंह पुत्र केशाराम हिस्सा 48/161 निवासी बाटडानाउ राहिन हिस्सा 48/161 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुजानगढ दर्ज है। संलग्न रिपोर्ट के अनुसार बैक की शाखा सालासर किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात तथा उपतहसीलदार सालासर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारिया कनिराम तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 जमाबंदी नया खाता संख्या 294 पुराना खाता संख्या 270 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–	

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है)
1	खारिया कनिराम	294/270	हीरा सिंह पुत्र केशाराम हिस्सा 48/161 निवासी बाटडानाउ राहिन हिस्सा 48/161 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सुजानगढ	हीरा सिंह पुत्र केशाराम हिस्सा 48/161 निवासी बाटडानाउ राहिन हिस्सा 48/161 (पूर्ण खाता) बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सालासर

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ व स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा सालासर को भिजवाई जाये। बैंक राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2020.03.18 14:20:43 IST
Reason: SelfAttested